

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-373/2019

1. भागीरथ महतो

2. आलोक कुमार सिंह

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. झारखण्ड राज्य

2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, राँची

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड सरकार

4. क्षेत्रीय निदेशक (शिक्षा) दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, राँची

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री शिव प्रसाद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री कृष्ण शंकर, एस०सी० (एल एंड सी)-II

03/31.01.2020

यह आवेदन डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 1485/2018 को बहाल करने के लिए दायर किया गया है, जिसे त्रुटियों को दूर करने के लिए दिए गए अनुल्लंघनीय समय के भीतर अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचियों के वकील प्रस्तुत करते हैं कि वह आवेदन बहाल होने के तुरंत बाद त्रुटियों को दूर कर देंगे। वह प्रस्तुत करता है कि असावधानी के कारण वह त्रुटियों को समय के भीतर दूर नहीं कर सका।

उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, मैं इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूँ।

तदनुसार, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 1485/2018 को इसकी मूल फाइल में दो सप्ताह के भीतर बहाल कर दिया गया है।

(आनंदा सेन, न्याया0)